



कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: 5बी0स्था0व्य0/भू0सं0-08(2018-19) - 3032

दिनांक: 16.8.18

प्रेषक:

संजय कुमार, भा0व0से0,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक,
प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका।

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी के अधीन "06-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना" उपशीर्ष में राशि के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखंड सरकार, राँची का पत्रांक 29/बी0टी0ई0-10/2017-18/77/बजट, दिनांक 21.02.2018।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "06-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना" उपशीर्ष के विभिन्न इकाईयों में कुल 106.80 लाख रु0 (एक करोड़ छः लाख अस्सी हजार रु0) मात्र की अतिरिक्त आवंटन दी जा रही है।

1. यह आवंटन योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखंड सरकार राँची के पत्रांक-29/बी0टी0ई0-10/2017-18/77/बजट राँची, दिनांक 21.02.2018 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम0-4-05/98 2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त 4-23/2003/1800 दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. इस राशि से संबंधित नियंत्री पदाधिकारी अपने अधीन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को विनिर्दिष्ट करते हुए कोषागार/उप कोषागार को सूचित करेंगे तथा उसी अनुसार राशि की निकासी, संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।
5. निकासी एवम् व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि निकासी के पूर्व जिस कार्य के लिए निकासी की जा रही है उसके लिए यथा योग्य सक्षम स्तर से तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी हो एवम् राशि का पूर्ण सदुपयोग कर लिया जायेगा।
6. संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन संरक्षक, क्षेत्रीय/मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा व्यय का सतत अनुश्रवण किया जायेगा। झारखंड सरकार वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-4/यो0 बजट-05/10-819 दिनांक 10.03.2011 को भी द्रष्टव्य रखा जायेगा।

011

7. राशि की निकासी एवं व्यय झारखंड कोषागार संहिता के नियम सं०-174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा। सामग्री का कय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों के अनुसार की जाएगी।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि ऐसी निकासी कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय ज्ञाप सं० 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में नियंत्री पदाधिकारी से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जाएगी।
10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा। मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान केवल आधार लिंक बैंक खाता में ट्रांसफर अथवा A/c Payee चेक के माध्यम से किया जाएगा।
11. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हों।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय कराया जायेगा। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा इसका नियमित अनुश्रवण के साथ-साथ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से Ledger लेखा समय से प्राप्त कर संतुष्ट होते हुए महालेखाकार को भेजा जायेगा।
13. यह आवंटन वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार के पदावधि विस्तार स्वीकृत्यादेश सं०-06/स्वी० व०प०, रांची दिनांक 05.07.2018 के आलोक में दी जा रही है।

आवंटन आदेश पत्र संख्या- BDUSCA/06-18-19/06SCA की प्रति अत्र-सह-संलग्न है।
अनु०-यथो०।

विश्वासभाजन,
16/8/18
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Forest, Environment and Climate Change Department

चाखू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - BDUSCA/06-18-19/06SCA

दिनांक - 07-Aug-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101060101 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 06 - भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 01 - वेतन Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	47356	DMKFOR036 P.C.MISHRA ADDI.P.C.C.F & DIRECTOR	10,492,000.00 रुपये एक करोड़ चार लाख बयानवे हजार
2	S 19 240601101060112 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 06 - भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 12 - छुट्टी यात्रा रियायत Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	47358	DMKFOR036 P.C.MISHRA ADDI.P.C.C.F & DIRECTOR	18,000.00 रुपये अठारह हजार
3	S 19 240601101060213 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 06 - भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना 02 - यात्रा भत्ते 13 - देशीय यात्रा भत्ता Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	47360	DMKFOR036 P.C.MISHRA ADDI.P.C.C.F & DIRECTOR	65,000.00 रुपये पैंसठ हजार

10,575,000.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड़ पाँच लाख पचहत्तर हजार

(SANJAY KUMAR)
Principal Chief Conservator of Forest,
BSCF, JHARKHAND, RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101060315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 06 - भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	47362	DMKFOR036 P.C.MISHRA ADDI.P.C.C.F & DIRECTOR	35,000.00 रुपये पैंतीस हजार
5	S 19 240601101060333 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 06 - भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 33 - दूरभाष Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	47364	DMKFOR036 P.C.MISHRA ADDI.P.C.C.F & DIRECTOR	12,000.00 रुपये बारह हजार
6	S 19 240601101060442 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 06 - भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना 04 - मोटरगाडियां / ईंधन 42 - मोटरगाडी ईंधन एवं मरम्मति Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	47366	DMKFOR036 P.C.MISHRA ADDI.P.C.C.F & DIRECTOR	58,000.00 रुपये अठावन हजार

योग:

105,000.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड छः लाख अस्सी हजार

10,680,000.00

(SANJAY KUMAR)

Principal Chief Conservator of Forest,

PCCF, JHARKHAND, RANCHI

Jharkhand, Ranchi